

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

बिश्नबाबा उसाद बर्मा प्रथम पक्ष

बनाम

रामदेव उसाद उसाद द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 34/24-25

धारा 2050 सं 1/15

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं 0 क. ता 0 से तक

जिला सं 0 सन् 20

केस का प्रकार

आदेश की क्रम सं 0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/6/24	आवेदक/आवेदिका बिश्नबाबा उसाद बर्मा पिता/पति .. डोगन प्रहरी जी. गिरिडीह ग्राम सोस थाना बिखनी जिला गिरिडीह द्वारा दं 0 प्र 0 सं 0 की धारा 1/15 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा नबादा खाता 24 प्लॉट 381 रकबा 1 1/2 बी० चौहदी : 30- दिनेश उसाद बर्मा द 0- रामनारायण उसाद पू 0- सुरेश उसाद बर्मा प 0- चनगा (सरिया रोड) में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिखनी/थाना प्रभारी बिखनी से माँगें। अभिलेख दिनांक 9/7/2024 को उपस्थापित करें। M 24.06.2024 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	298 24/6/24



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

आदेश संख्या - 34/2024

धारा 164 भा० ना० सु० सं०

आदेश की म सं० र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष द्वारा भा० ना० सु० सं० की धारा 164 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (रामदेव प्र० कुशवाहा) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी, बिरनी से प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गई थी। थाना प्रभारी, बिरनी के ज्ञापांक 932, दिनांक-19.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 164 भा० ना० सु० सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 24.08.2024 को कारण-पृच्छा की माँग की जाती है। क्यों नहीं पक्ष विशेष के पक्ष में दखल-कब्जा सम्पुष्ट कर दिया जाये।	


12.08.2024



विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	चौहद्दी
झांझ	108	24	381	1.5 डी०	उ०- दिनेश प्रसाद वर्मा का पक्का मकान, द०- रूपनारायण वर्मा अर्धनिर्मित मकान, पू०- सुरेन्द्र वर्मा वगै० का पक्का मकान, प०-धनवार-सरिया मुख्य पक्की सड़क।

M
12.08.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया(गिरिडीह)

B
12.08.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया(गिरिडीह)

गै०
रकबा
०-६
मुख्य
सड़क

दण्डाधिकारी
(गै०)

दण्डाधिकारी
(रकबा)

क्र. सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

4/8/24

अभिलेख उपस्थापित,
उमय पक्ष अनुपास्थित। डिप्टी
पक्ष अनु०।

दिनांक - 10.09.24 को रखा।


24.08.2024

10/9/24

उमय पक्ष अनु०।
अभिलेख दिनांक 8/10/24 को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

08/10/24

उमय पक्ष अनुपास्थित।
अभिलेख दिनांक 29/10/24 को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

29/10/24

उमय पक्ष अनु०।
अभिलेख दिनांक 17/11/24 को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

17/11/24

उमय पक्ष अनु०।
अभिलेख दिनांक 18/11/24 को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

18/12/24

उमय पक्ष अनुपास्थित।

28/11/24


18.12.24

क्र० सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

28-1-25 उभय पक्ष अनुपस्थित/
आदेश हेतु।
28-1-25आदेश

दिनांक 10-9-24 से 28-1-25
आदेश की तिथि तक विभिन्न तिथियों
में उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। उक्त
कारण से वाद में आगे किसी तरह
की कार्यवाई करना अबका तार्किक
निरुद्ध पट पहुँचना संभव नहीं है। ऐसा
प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को वाद
में कोई रुचि नहीं रह गई है।

अतः प्रस्तुत वाद को बिना कोई-
अंतिम आदेश पारित किए समाप्त
घोषित किया जाता है।

लेखापति एवं संशोधित

अनुमंडल पदा

खगोदर-सल्ला

अनुमंडल पदा

खगोदर सल्ला